RAJYA SABHA

Friday, (he 19th August, 1994/ 2Slh Sravana, 1916 (Saka)

The House met at eleven of the clock. Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Free Education to Girls

*361. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide free education to girl students upto niversity level in the country;

(b) if so, the details thereof, and

(c) if not, the reasons therefor'.'

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) to (c) Free education to girls and boys is provided upto upper primary level in all Government schools. Beyond this stage, the position differs from State to State. Some States/U.Ts. have '.tended this facility to girls studying in ondary/Senior Secondary stage also. In vidyalayas Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas education for girls is free upto Class XII.

श्री इकबाल सिंह: सर, माननीया मंत्री जी ने अभी जो गर्ल्स एजुकेशन के बारे में उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन है, जबकि देश की 50 परसेंट आबादी गर्ल्स की है, लेडीज की है और हमारा ये इस वर्ग में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने जो सहूलियतें दी हैं यूनिवर्सिटी को खास करके गर्ल्स एजुकेशन के लिए उसके लिए यूनिवर्सिटीज ने अभी तक वह फ्री एजुकेशन लागू नहीं की है और इस समाज में जो स्त्री की दशा है वह बड़ी दयनीय है और यह सारी की सारी एजुकेशन पर निर्भर है? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तीन साल बाद स्वर्ण जयन्ती मनाने वाले हैं तो कब तक देश में फ्री एजुकेशन होगी, ताकि लड़कियों का सम्मान बढ़े और लड़कियां देश में आगे बढ़ सकें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो व्यापक प्रश्न पूछा है वह एक राय है जो कि महत्व रखती है, लेकिन आज की स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें जहां तक फ्री एजुकेशन दिया गया है उसका ब्यौरा हमने दिया है और डिटेल्ज और जो मांगी जाएंगी वह भी प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न केवल फ्री एजुकेशन करना नहीं है, प्रश्न यह है कि महिलाओं और गर्ल्स के बारे में नीचे से लेकर जिस स्तर पर भी आवश्यकता हो वहां पर उचित कदम उठाए जाएं ताकि वे शिक्षा के स्ट्रीम में आएं, उनको शिक्षा मिलने में दिक्कत न हो और जो अड़चनें पैदा होती हों उन अड़चनों को दूर किया जाए और उस सिलसिले में काफी व्यापक कदम न्यू एजुकेशन पालिसी में उठाए गए हैं। और मैं समझता हूं कि उस हिसाब से गर्ल्स को एजुकेशन पूरी मिले, यह हमारा लक्ष्य है। फीस तो उसका एक बहुत मायनर पार्ट है। वैसे भी फीस हायर एजुकेशन में कम्परेटिवली बहुत कम है, कोई ऐसी ज्यादा बड़ी फीस भी नहीं है, लेकिन उसमें भी आगे हो सकता है कि कहीं उनके स्पेशल प्रोजेक्ट्स हों, रिसर्च हों, उसमें हम उनको छूट दे सकते हैं। तो यह अप्रोच ही मैं समझता हूं कि देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए ज्यादा असरदार होगी।

श्री इकबाल सिंह: माननीय मंत्रीजी ने जो अभी फ्री एजुकेशन के बारे में बताया, लेकिन मैंने जो आंकड़े दिए हैं, वह यह है कि जब स्कूल में बच्चा दाखिल होता है और खासकर लड़की, तो वे प्रायमरी एजुकेशन में 43 परसेंट एडमीशन लेते हैं। उसके बाद जब वह मिडल क्लास तक जाते हैं तो 39 परसेंट रह जाते हैं और सैकंडरी एजुकेशन के बाद 34 परसेंट रह जाते हैं और हायर एजुकेशन के लिए 33 परसेंट एडमीशन लेते हैं। इसके साथ यह भी कि क्या कोई ऐसी एजुकेशन देने का आपने सोच रखा है जिससे कि उन्हें बाद में एम्पलायमेंट मिल सके और वे आत्म-निर्भर हो सकें ताकि समाज में स्त्री जाति का सम्मान बढ़ सके और वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मैं इसके लिए मंत्रीजी से दरख्वास्त करूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में कब तक यह सारी चीजें लायी जाएंगी?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न बहुत जायज है कि जो महिलाएं इस स्ट्रीम में आती हैं प्रायमरी से सैकंडरी और सैकंडरी से हायर, उनमें उनका परसेंटेज घटता है। यही इश्यू है, यही प्रश्न है जिसको हमें देखना है और उसको दूर करना है। इस सिलसिले में कई कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए जो नया डी.पी.ई.पी. प्रोग्राम लिया गया है जिले का, उसमें विशेषकर उन जिलों में काम इसका हो रहा है जहां पर फीमेल लिटरेसी के फिगर्स सबसे कम हैं। यही आपके

लिटरेसी कैम्पेन के सिलसिले में है और इन सब का असर अभी हो रहा है कि हमारा फीमेल लिटरेसी का परसेंटेज बढ़ रहा है और एनरॉलमेंट के मामले में भी फिगर्स अब उतने निराशाजनक नहीं हैं जितने कि पहले थे। इसको हमें जारी रखना है और यह तो मैं नहीं कह सकता कि किस वर्ष में जाकर यह सब पूरा हो जाएगा, लेकिन यह प्रयास बहुत शीघ्र देश में फीमेल लिटरेसी और महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री मोहम्मद मसूद खान: मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अरबी व संस्कृत का मान्यता प्राप्त या सरकारी विद्यालय महिलाओं का कोई है जिसको कि सरकार खुद या सहायता देकर फ्री तालीम की सहूलियत देती है? अगर नहीं है तो क्यों? अगर जवाब न हो तो मुझको लिखकर भेज दें।

شری محمد مسعود خاں: مان لیجئے دو۔ میں منتری جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عربی اور سنسکرت کا مانیتا پراپت یا سرکاری ودیالیہ مہلاؤں کا کوئی جس کو کہ سرکار خود یا سہائتا دے کر فری تعلیم کی سہولت دیتی ہے اگر نہیں ہے تو کیوں۔ اگر جواب نہ ہو تو مجھ کو لکھ کر بھیج دیں۔

श्री अर्जुन सिंह: मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य ही मुझे लिखकर भेज दें कि यह क्या चाहते हैं, तो शायद मैं उनकी सेवा कुछ कर सकूं।

श्री मोहम्मद मसूद खान: मान्यवर, दो साल से लगातार भेज रहा हूं और क्युश्चन भी मैंने दिया है, लेकिन आता नहीं। इसलिए मैं इसी से पूछ रहा हूं। इसी को मेरा लिखा हुआ मान लें।

شری محمد مسعود خان: مانیہ ور۔ دو سال سے لگاتار بھیج رہا ہوں اور کوشچن بھی میں نے دیا ہے لیکن آتا نہیں۔ اس لئے میں اسی سے پوچھ رہا ہوں۔ اسی کو میرا لکھا ہوا مان لیں۔

† []Transliteralion in Arabic script]

MR. CHAIRMAN: This question is about girls' education.

श्री अर्जुन सिंह: अगर इसी को इनका लिखा हुआ मान लिया जाता है तो अगले अवसर पर मैं उत्तर भी देने के लिए तत्पर हूं।

श्री नरेश यादव: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में विद्यालय और महाविद्यालय जाने वाले छात्राओं और छात्रों का अलग-अलग अनुपात क्या है? क्या छात्राओं का अनुपात छात्रों की तुलना में बहुत कम है? इसके कारण क्या हैं और सरकार इस संबंध में निदान क्या सोच रही है?

श्री अर्जुन सिंह: सभापति जी, मैंने पूर्व में ही कहा कि एनरोलमेंट का परसेंटेज महिलाओं का कम है और उस परसेंटेज को बढ़ाने के ही उपाय सोचने हैं, करने हैं। इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, उसमें एक तो ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड में 50 प्रतिशत संख्या टीचर्स की महिलाओं की रखी जाय, यह अनिवार्य किया गया है ताकि महिलाओं के संबंध में शिक्षा में जो थोड़ी बहुत हिचक होती है ऐसे स्कूल में, वहां पर हिचक न रहे। दूसरा, जो पी.ई.पी. का मैंने अर्ज किया, महिला समस्या योजना जो है, जिसमें महिलाओं के शिक्षा के अंदर ज्यादा प्रवेश करने के विषय पर महिलाओं के माध्यम से ही विशेष कार्यक्रम कई प्रदेशों में चलाए जा रहे हैं, उसको सुदृढ़ किया जा रहा है और वोकेशनल शिक्षा है उसमें भी गर्ल्स की भरती के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। रिक्रूटमेंट के मामले में, जो कहीं-कहीं महिलाओं के रिक्रूटमेंट में पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा सका था, जिसको जेंडर बयास की बात कहते हैं, उसको दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। इन सभी उपायों के आधार पर मुझे निवेदन करना है कि निश्चित रूप से फीमेल लिटरेसी में असर पड़ेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय सभापति जी, मैं मंत्री महोदय यह जानना चाहूंगी कि उन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में लड़के, लड़कियों को शिक्षा मुफ्त दी जाती है और उसके बावजूद इस तथ्य को स्वीकार किया है कि लड़कियों की एनरोलमेंट पूरी नहीं है। इसके यह मायने है कि केवल मुफ्त शिक्षा का दिया जाना लड़कियों की एनरोलमेंट के लिए काफी नहीं है बल्कि समस्या की जड़ में कुछ और चीजें भी हैं, जिनके उपाय करने की जरूरत है। तो एक तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे लक्षणों की जांच उन्होंने कर ली है कि मुफ्त शिक्षा के बावजूद हम लड़कियों को पूरे तौर पर स्कूल में लाने में नाकामयाब क्यों रहे हैं और ऐसे

लक्षणों की जांच करने के बाद उन्होंने कौन से उपाय इन लक्षणों के निराकरण के लिए सोचे हैं? दूसरी बात, जो आपने विश्वविद्यालय तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है कि फैजेज में हम इसको करेंगे तो क्या कोई ऐसा सर्वेक्षण कराया गया है कि यदि सारे विश्वविद्यालयों में कन्याओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है तो उस पर कुल कितना खर्च आएगा? आपका टोटल बजट पूरे बजट का इतना कम है, क्या वह सारे का सारा पैसा आंकलन करने के बाद वाकई आप विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा कन्याओं को दे पाएंगे?

श्री अर्जुन सिंह: यहां तक आदरणीय सदस्या का पहला प्रश्न है, महोदय, मैं शुरू से यही बात कह रहा हूं कि केवल फीस के ही आधार पर हम इस प्रश्न को नहीं देख सकते। जो आपने एक बात कही, वही बात है कि फीमेल लिटरेसी कम क्यों है, एनरोलमेंट कम क्यों है। उसके जो सामाजिक और आर्थिक कई कारण हैं उनको ध्यान में रखकर हमें कुछ उपाय करने चाहिएं और उनका मैंने अभी उल्लेख किया है, उन्हीं को फिर से मैं दोहराना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन असली तरीका यही है; जो माननीय सदस्या ने कहा कि उन मामलों पर ध्यान देकर उसको दूर किया जा सके, तो अपने आप उसका असर फीमेल लिटरेसी पर पड़ेगा। जहां तक दूसरा सवाल है यूनिवर्सिटी का, इस प्रकार का तो कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि यह विषय प्राय: राज्यों के क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका मूल्यांकन किया जा सकता है और जो आंकड़े सामने आएंगे उनको सामने रखकर फिर विचार किया जा सकता है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: माननीय सभापति जी, विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़े होने के नाते मैं जो महसूस करती हूं, जो मैंने देखा है, कई विषयों में 30 प्रतिशत, कई में 50 प्रतिशत, कई में 80 प्रतिशत तक लड़कियां पढ़ने आ रही हैं, लेकिन उनकी शिक्षा निशुल्क नहीं है। जैसा कि सुषमा जी ने कहा, यदि उनके लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय स्तर तक की जाए तो इसके लिए क्या आपने यह अनुमान लगाया है कि उस पर कितनी राशि खर्च होगी? या यह केवल कागजी बातें रह जाएंगी या इसे आप इंपलीमेंट भी करेंगे?

श्री अर्जुन सिंह: मैंने अभी निवेदन किया कि इस तरह के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं क्योंकि यह विषय प्रदेशों के कार्यक्षेत्र में आता है, लेकिन आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं और जो स्थिति उस वक्त सामने आएगी उसको ध्यान में रखकर फैसला करने की बात सोची जा सकती है।

श्री एस॰एस॰ सुरजेवाला: माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि लड़कियों की शिक्षा का जो मसला है, उनके स्कूल न जाने का एक प्रमुख कारण यह है बावजूद इस बात के कि निशुल्क शिक्षा स्कूलों में दी जाती है, हरियाणा में तो युनिवर्सिटी, कालेज लेवल तक भी निशुल्क शिक्षा दी जाती है, कि जो गरीब लोग हैं खासतौर पर जो देहात में रहते हैं वह अपनी लड़कियों को अपने व्यवसाय में, खेती और मजदूरी में शुरू से ही, जब वह बहुत छोटी उम्र की होती है, काम में लगाते हैं ताकि परिवार की आमदनी जो है वह बढ़ सके और यह एक प्रमुख कारण है, तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि नि:शुल्क शिक्षा का कुछ मतलब नहीं है, दो रुपए, चार रुपए फीस माफ करने के कोई इन्सेंटिव नहीं है गरीब आदमियों के लिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि गरीब आदमियों के लिए क्या वह स्टाइफंड देंगे, रीजनेबल, अच्छा, ताकि पेरेंट्स यह समझें कि जो लड़की काम करती थी उनके साथ, उसके बदले में उनको स्टाइफंड मिलता है और जो खर्च होगा उसकी शिक्षा पर फीस के अलावा, वही भी पूरा हो सके? तो जाकर शिक्षा लड़कियों में फैल सकती है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा, जिसमें शिक्षा का स्तर सारे देश में सबसे न्यूनतम है और खास तौर पर स्त्रियों की शिक्षा में, तो क्या भारत सरकार कोई खास कंसिडर करेगी हरियाणा के लिए शिक्षा में? हरियाणा में जो सामाजिक पिछड़ापन है, वह भी उसके कारण है, तो हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा मदद सरकार दे ताकि हरियाणा देश के दूसरे प्रान्तों के बराबर लाया जा सके।

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कारण बताए हैं महिला शिक्षा में पर्याप्त प्रगति न होने के, निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति उसमें से एक प्रमुख कारण है और यह तो मैं बहुत उचित तरीका नहीं समझता कि स्कूल में आने के लिए खास तौर से वजीफा सबको दिया जाए क्योंकि एक तो इसका खर्चा बहुत आएगा और फिर यह व्यवहारिक कितना होगा, यह एकदम से कहना मुश्किल है। यह जरूर है कि जो व्यापक प्रयास हो रहे हैं शासन की ओर से वीमन्स के इम्पावरमेंट के लिए, खास तौर से इकनामिक एंड सोशियल इम्पावरमेंट के लिए, उसका असर जरूर पड़ेगा इस परिस्थिति पर और उस शिक्षा में, वह कोई अकेले शिक्षा विभाग से नहीं हो रहा है, कई विभाग उसमें काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसा कि अभी परिलक्षित हो रहा है, इन सबका सामूहिक असर जरूर और फीमेल लिटरेसी का परसेंटेज

बढ़ेगा। अभी भी जैसा मैंने शुरू में कहा है कि उन क्षेत्रों में जहां लिटरेसी कम्पेन तेजी से चला है वहां पर इनका परसेंटेज आफ इनरोलमेंट बढ़ा है। जहां पर महिला समख्या योजनाएं चली हैं, वहां अवेअरनैस हुआ है और उनकी संख्या बढ़ी है, इनरोलमेंट बढ़ा है। तो ये सब प्रयास हैं, सभापति जी, जिनके माध्यम से हम इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। रही बात हरियाणा की, तो हम लोग तो हरियाणा को देश का बहुत प्रगतिशील राज्य मानते हैं। मैं आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहता..(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र: पढ़ाई के मामले में या खेती में?

श्रीमती सुषमा स्वराज: फीमेल लिट्रेसी में नहीं है, गेहूं-चावल में है।

SHRI S. JAIPAL REDDY: And also in defections.

श्री अर्जुन सिंह: मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के प्रयास से यह अभाव भी दूर किया जा सकता है।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति, जी, मामला थोड़ा गंभीर है। जिस हल्के ढंग से सरकार ने बयान दिया है, उतना हल्का मामला है नहीं। पूछा गया है विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई के बारे में अपने देश की लड़कियों के लिए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से बयान आया है सायर सैकेंडरी स्कूल तक का। जिन आर्थिक और सामाजिक कारणों की तरफ माननीय मंत्री जी ने इशारा किया है, वे कारण अब भी हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। इस सदन को और देश चलाने वालों को उन कारणों के रहते हुए इसे दूर करने के क्या प्रयास करने होंगे, उन अवरोधों को कैसे समाप्त किया जाए। मैं जैसे बता रहा हूं कि अभी थोड़े दिन पहले एक शंकराचार्य ने फतवा जारी किया है कि लड़कियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये सामाजिक कारण हैं। वेद की शिक्षा माने उच्च शिक्षा। हमारा धर्म, हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं जाति और सैक्स की बुनियाद पर कुछ इलाके के लोगों को शिक्षा के वंचित रखने की साजिश करती आई है।

आजादी मिलने के बाद से वंचित वर्ग के लोगों ने उम्मीद की थी कि उन्हें ज्यादा तरजीह दी जाएगी और उसकी परछाई शिक्षा जगत में जगह-जगह देश में पड़ती दिखाई दे रही जिसकी छाया सर्वोच्च न्यायालय से लेकर कई जगह मिल रही है। मैं सरकार से साफ-साफ जानना चाहता हूं कि जो अवरोध है उन अवरोधों को दूर करने का संकल्प ले करके कितने दिनों में जो लोग सैक्स और कॉस्ट की बुनियाद पर शिक्षा से वंचित हैं, उन लोगों को संपूर्ण रूप से शिक्षित करने की योजनाबद्ध तरीके से नीति बनाई जाएगी?

श्री अर्जुन सिंह: सभापति महोदय, यह बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस विषय की गंभीरता को कभी भी सरकार की ओर से कम आंकने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यह समस्या केवल शिक्षा से संबंधित नहीं है। भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी सुरक्षा और उनकी प्रगति के लिए जो साधन जुटाने हैं, ये भारत की प्रगति के लिए आवश्यक हैं, केवल शिक्षा जगत के लिए आवश्यक नहीं हैं और ये जो दृष्टिकोण है, चाहे जिस किसी का भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, यह जो दृष्टिकोण है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा चाहे वह वेद की शिक्षा हो या और किसी प्रकार की शिक्षा हो, उससे वंचित रखा जाए अगर सैक्स के आधार पर कोई इस तरह का दृष्टिकोण प्रतिपादित करता है तो वह पूरी तरह से अनुचित है। ऐसी बात को कभी इस देश में मान्यता नहीं दी जा सकती।

महोदय, अब यह देश बहुत आगे चला गया है और महिलाओं के सवाल को लेकर हम सब न केवल अपने-अपने क्षेत्रों में अपने कर्तव्य को पूरा करें बल्कि व्यापक रूप से देश के अंदर उनके लिए वे परिस्थितियां निर्मित की जानी चाहिए जिससे इस प्रकार के अवरोध उनके सामने न आएं।

जहां तक शिक्षा देने का प्रश्न है कि हम कब तक ऐसा कर देंगे, मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया कि मेरे लिए आज कोई तिथि देना संभव नहीं है लेकिन जिस प्रकार से सारे देश में परिस्थितियां बदल रही हैं महिलाओं के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, जो सामाजिक-आर्थिक बंधन हैं उनके संबंध में, उनको देखते हुए हम सब ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि बहुत शीघ्र वह स्थिति आएगी जहां महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई अभाव नहीं रहेगा।

MR. CHAIRMAN: I think, with that I can move on *(Interruptions)... Can I call on Mrs. Umiilaben Patel? I think, ladies have to be given preference.*

AN HON. MEMBER: Men must talk about women.

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: सभापति, महोदय, मैं दो-तीन बातें बताना चाहती हूं। हमारे समाज में कई कम्युनिटीज, कई जातियां ऐसी हैं जो महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा आज भी मानती हैं और वे समझती

हैं कि अगर हम लड़की को पढ़ाएंगे तो समाज में लड़की की बदनामी होगी, उसके चरित्र पर शंका होगी और उससे कोई लड़का शादी करने को तैयार नहीं होगा। ऐसे विचार कई कम्युनिटीज, में आज भी प्रचलित हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: अगर हम हमारी महिलाओं को, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो जो फ्यूचर जनरेशन है, उसका भी विकास नहीं होगा क्योंकि संस्कार और शिक्षा देने का काम माँ का ही होता है। जैसे अगर हम कोई इकनोमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके इन्स्ट्रक्चर का विचार करते हैं, उसी तरह अगर हमें समाज का सुधार करना है और समाज को आगे बढ़ाना है तो माता ही उसका इन्स्ट्रक्चर है। अगर उसको बढ़ावा देने के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है।

अभी मंत्री जी ने बताया कि स्कॉलरशिप्स, इंसेटिव्ज वगैरह देने में खर्च ज्यादा हो जाता है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि ज्यादा खर्च होने से अगर समाज का सुधार होता है, समाज की प्रगति होती है तो उसमें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर यह इन्वैस्टमेंट हम मनुष्य की शिक्षा पर कर रहे हैं और मानव-संसाधन में इन्वैस्टमेंट करना सबसे बड़ा इन्वैस्टमेंट है। तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से और इस हाऊस से विनती करती हूं कि हमारे समाज में कुछ कम्युनिटीज में यह जो मेंटेलिटी है, जो पिछड़ी कम्युनिटीज हैं, जो देहातों में बसती हैं। उनके विचार जहां तक नहीं बदले, वहां तक हमें इंसेटिव की जरूरत है, थोड़े कम्पलसन की भी जरूरत है। तो ऐसे स्टेप लेने चाहिए। कहीं एजूकेशन तक स्वीकार किया गया है तथा प्राईमरी एजूकेशन देकर लड़की की शिक्षा बंद करवा देते हैं।

MR. CHAIRMAN: Please put your question now.

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल: तो अगर हायर एजूकेशन करना चाहिए और इसके लिए इंसेंटिव देना चाहिए। कितने समय में मंत्री महोदय इसके बारे में प्लानिंग करेंगे और क्या प्लानिंग करेंगे, यह बताएं?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय महोदय, आदरणीय सदस्या ने जिस मान्यता का यहां उल्लेख किया कि आज भी इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को शिक्षा देने के औचित्य को ही स्वीकार नहीं करते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसे कुछ लोग बिरले हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग हैं भी, तो इस मान्यता को समाप्तय करने के लिए हममें से प्रत्येक का कुछ न कुछ दायित्व और कर्तव्य है। हम जहां भी जैसे हैं, समाज में अपने अधिकार के द्वारा और अपने इनफ्लुएंस के द्वारा इस बात को दूर करने की कोशिश करें और यह बड़ा उत्साहवर्द्धक पहलू सामने आया है, खास तौर से हमारे लिट्रेसी मिशन में कि उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सामने आ रही हैं और जहां भी लिट्रेसी मिशन की सफलता हुई है, उस क्षेत्र में महिलाओं को ही उसका सबसे पहले लाभ हुआ है और यह मान्यताएं जो अज्ञानता की वजह से होती हैं, जरा भी ज्ञान का संचार होता है वहां पर इस प्रकार की मान्यताएं अपने आप समाप्त होती हैं। जहां तक सवाल व्यापक प्रश्न का है, मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी उपाय उस सिलसिले में नहीं किया जा रहा है। खास तौर से ट्राईबल एरियाज में जहां और भी ज्यादा कठिनाईयां हैं, वहां आश्रम स्कूल खोले गए हैं। केवल स्टाईपेंड का सवाल नहीं है, उन आश्रम स्कूलों में जो लड़कियां आती हैं, वे वहां रहकर पढ़ती हैं और उनका पूरा खर्चा शासन बर्दाश्त करता है। लेकिन यह कहना कि सारे देश में भी हर एक को स्टाईफंड दे देंगे, एकदम से ऐसा कहना मेरे लिए यह संभव नहीं है, यह मैंने निवेदन किया है।

SHRI HIPHEI: Sir, if my information is correct, 163 hostels for girls belonging to the Scheduled Castes have been constructed. Is there any proposal for construction of hostels for girls belonging to the Scheduled Tribes?

SHRI ARJUN SINGH: Where is this? 1 could not follow.

SHRI HIPHEI: If my information is correct, 163 hostels for girls belonging to the Scheduled Castes have been constructed. What about hostels for girls belonging to the Scheduled Tribes?

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I can answer this question after getting the full facts of the matter. I see no difficulty. If there is such a demand and there is a necessity, if the hostels can be made for trie girls belonging to the Scheduled Castes, they can also be made for girls belonging to the Scheduled Tribes. And the conditions differ from place to place. But this is not something which is not being done and cannot be done.

MR. CHAIRMAN: Sorry; it is an important question, still I must have to pass on to tile other question.

Question No. 362.

Question No. 363.

*362. *[The Questioner (Shri Satish Pradhan, was absent. For answer vide col. 26 infra]*

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आरक्षण

*363. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 605 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल-मई, 1994 के महीनों के दौरान शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने पद विज्ञापित किये गये हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये क्रमश: कितने-कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं,

(ख) क्या इन आरक्षित पदों का कुल योग पचास प्रतिशत से कम है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारतीय संघ मामले में प्रदत्त आदेश का उल्लंघन नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि पिछले वर्षों की केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियां अप्रैल, 1994 में विज्ञापित की गई थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

शिक्षकों का वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्राथमिक शिक्षक	62	192
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	117	170
स्नातकोत्तर शिक्षक	–	78
संगीत शिक्षक	4	8
एस.यू.पी.डब्ल्यू. शिक्षक	20	19
	203	467

क्योंकि सभी रिक्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की थीं, अत: रिक्तियों में आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

अक्तूबर, 1993 में भारत सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, इनके अनुपालन में, निर्धारित मानदंडों के मुताबिक विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की विद्यमान रिक्तियों का विज्ञापन मई, 1994 में दिया है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मई, 1994 के विज्ञापन में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कुल मिलाकर आरक्षण

शिक्षकों का वर्ग	कुल संख्या	साधारण	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	शरीरिक दृष्टि से विकलांग
प्राथमिक शिक्षक	1020	382	153	11	215	102	31
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	750	280	113	56	203	75	23
स्नातकोत्तर शिक्षक	500	252	75	38	135	–	–
संगीत शिक्षक	72	27	11	06	19	07	02
एस॰यू॰पी॰ डब्ल्यू शिक्षक	235	87	36	18	63	24	07
ड्राइंग शिक्षक	200	75	30	15	54	20	06
शारीरिक शिक्षा शिक्षक	200	75	30	15	54	20	06